फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गोविन्दा बनाम संगीता वगै0

ा नं0 :– 64/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। वकील उभय पक्षो की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बह समे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगणों को सुनने व अवलोकन करने के बाद ही अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। पत्रावली में अंकित वादग्रस्त भूमि ग्राम लूनेठा तहसील आंधी के हाल सैटलमेंट से पूर्व नक्शें अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार मौके पर काश्त कर रहे है लेकिन हाल सेटलमेंट के बाद बने हाल नवीन नक्शा खसरा नम्बर 338 की भूमि की प्रार्थीगणों की भूमि में कम से कम करते हुए पडौसी खातेदार हाल खसरा नम्बर 340 की भूमि को प्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 338 में प्रवेश करते हु नक्शा में अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शें अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रहे है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना पूर्व नक्शें का मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है जिस कारण नवीन नक्शें के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर नापझोक करने पर सही आती है। अतः पत्रावली में मूल प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 11.06.2024 को ताफैसला कन्फर्म किया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा कम नही है, तथा साबिका नक्शा व वर्तमान नक्शा में भी कोई अन्तर नही है, ना ही मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी सं0 1 के खसरा नम्बर 340 मे प्रार्थीगण की कोई तरमीम हुई है। प्रार्थीगण का मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी सं0 1 की भूमि खसरा नम्बर 340 से कोई नक्शा तरमीम दुरूस्त होना वांछित नही है। मात्र केवल मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी सं0 1 को हैरान व परेशान करने के बदआश्य से श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। दिनांक 15.05.2024 को माननीय न्यायालय के प्रकरण सं0 193/2022 उनवान संगीता बनाम गोविन्दा में पारित निर्णय की पालना मे पत्थरगढी की गई है। अप्रार्थी व प्रार्थीगण की भूमि पृथक–पृथक खसरा नम्बरान में है। अप्रार्थी वरवक्त पत्थरगढी बताये सीमाचिन्ह अनुसार अपनी भूमि खसरा नम्बर 340 पर साधिकार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे से कतई कम नही है। जिसकी स्पष्ट रिपोर्ट तहसीलदार की ओर से पत्रावली मौजूद है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 338 के हाल नक्शें व साबिक नक्शें में तरमीम में भिन्नता नही पायी गयी है। ऐसी परिस्थिति में मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 340 को स्थगन से प्रतिबन्द करवाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र को मयहर्जा खर्चा खारिज करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र से अप्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 340 के लिए प्रतिबन्धित किया जाना कानून सम्मत नही होने से प्रार्थीगण को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 11.06.2024 से खसरा नम्बर 340 को स्थगन मुक्त किया जाता है एवं खसरा नम्बर 338 पर पूर्व में जारी स्थगन पूर्वानुसार यथावत रख कर ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	